न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—279/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/279)

1. रामूराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।

अपीलांट्स

बनाम

1. राधादेवी बेवा मांगुराम
2. भंवरलाल पुत्र मांगुराम पुत्रान गोमाराम
3. बोदुराम पुत्र मगनाराम
4. खेमाराम पुत्र गोमाराम
5. धन्नी बेवा भोलूराम
6. भोमाराम पुत्र भोलूराम
7. मोतीराम पुत्र भोलूराम
8. मूलाराम पुत्र भोलूराम
9. हीराराम पुत्र भोलूराम
10. कैलाशचंद पुत्रान भोलूराम समस्त जाति जाट
11. प्रेमदेवी बेवा पेमाराम
12. लालाराम पुत्र पेमाराम
13. किसनाराम पुत्र पेमाराम
14. राधादेवी पुत्री पेमाराम
15. मोहनी देवी पुत्री पेमाराम
16. सुन्दरदेवी पुत्री पेमाराम
17. श्योकुवरी पुत्री पेमाराम
18. मूलाराम पुत्र मोहनराम
19. चन्द्री बेवा मोहनराम
20. पांचूराम बेवा
21. श्रवणराम पुत्र रतनाराम समस्त मेघवंशी समस्त निवासी ग्राम श्रवणपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर।
22. सब रजिस्ट्रार कुचामनसिटी एवं नावां जिला नागौर।
23. एस0बी0आई0बैक जिलियसा
24. राजस्थान सरकार तहसीलदार नांवा।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर कुचामनसिटी, द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.06.2013 राजस्व वाद संख्या 65/2008

उपस्थितः—

1. श्री रोहित सोनी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मौहम्मद इकबाल अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 21
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 24
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 व 22, 23 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—30.03.2026

1. यह अपील माननीय राजस्व मण्डल द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र/टी0ए0/4753/2020 में पारित आदेश दिनांक 14.12.2020 को राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर से राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में स्थानान्तरण किए जाने से प्राप्त हुई है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, कुचामनसिटी द्वारा प्रकरण संख्या 65/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 3 ने एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, कुचामनसिटी, नागौर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 व 188 बाबत प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अपीलांट को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए वाद को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करने के आदेश पारित कर दिए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, कुचामनसिटी द्वारा प्रकरण संख्या 65/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2013 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 व 22, 23 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थी ने उपरोक्त उनवानी अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी है जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी राजस्थान से बाहर रहता है तथा प्रार्थी के अभिभाषक ने आवश्यकता होने पर बुलाने हेतु आश्वासन प्रदान कर रखा है इस कारण प्रार्थी इस विश्वास में रहा कि प्रार्थी के अभिभाषक उसे विधिवत् सूचित कर देंगे जिसे प्रार्थी आवश्यकता होने पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा तथा लगातार प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा तारीख पेशी प्रदान कि जाती रही जब कोई समाचार प्रकरण बाबत प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ तो प्रार्थी ने दिनांक 03.02.2019 को कुचामनसिटी जाकर अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया तो प्रार्थी के अभिभाषक ने उसे बताया कि अंतिम डिक्री पारीत हो चुकी है तथा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी है। प्रार्थी प्रकरण से सम्बन्धित प्रमाणित प्रतिलिपि एंव आदेश दिनांक 03.06.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर प्रार्थी दिनांक 05.02.2019 को अजमेर आया तथा अभिभाषक नियुक्त कर अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान किया इस पर आज दिनांक 06.02.2019 को अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सदभाविक कारणों के रहते हुआ है तथा प्रकरण से प्रार्थी के हित प्रभावित होते है इसकारण न्यायहित में विलम्ब माफ कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए

है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

RBJ(13)2006

INDIAN LIMITATION ACT,1963-SECTION 5 - *CONDONATION OF DELAY-COURT SHOULD ADOPT LIBERAL APPROACH IN CONDONING DELAY.*

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि सहायक कलक्टर कुचामनसिटी द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 03.06.2013 न्याय, नियम एंव अभिलेख के प्रतिकूल होने से प्रथम अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। अंतिम डिक्री से पूर्व दुबारा कुर्रेजात मंगवाये जाते है तो उन पर पक्षकारान को नोटिस देकर एतराज तलब किये जाते है तत्पश्चात् डिक्री पारित कि जाती है ऐसा कुछ भी विचारण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया ना ही नई स्कीम दिनांक 31.05.2013 पर गौर किया गया मात्र वादीगण को लाभ पहुंचाने कि गरज से अंतिम डिक्री पारित की गई जो अवैध होने से अपील के माध्यम से निरस्तनिय है। अंतिम डिक्री के निर्णय में अपीलार्थी के अभिभाषक कि बहस सुनना अंकित किया गया परन्तु बहस का कोई अंकन नहीं है ना ही बहस पर विवेचन है मात्र उपस्थिति अंकित कर निर्णय एंव डिक्री पारित कि गई है जो मात्र वादीगण को लाभ पहुंचाने कि गरज से अंतिम डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा स्कीम हेतु तहसीलदार कुचामन को नियुक्त किया तथा विधिक प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार ही बंटवारा स्कीम बनाते है जबकि विचारण न्यायालय ने पटवारी द्वारा निर्मित कुर्रेजात स्कीम को ही स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारीत की है। उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के न्यायालय में वाद में अंकित वादी व प्रतिवादीगण कि वाद डिक्री करने कि सहमती अपीलार्थीगण द्वारा नहीं दी गई ना ही आगे कार्यवाही करने हेतु कोई अवसर प्रदान किया गया है इस प्रकार वाद में जो निर्णय व डिक्री पारित कि गई है वह अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार द्वारा बंटवारा नियमों के नियम 18 से 21 कि कोई पालना नहीं कि गई है जिसपर विचारण न्यायालय द्वारा बिना कोई गौर किये निर्णय व डिक्री प्रदान कर दी गई जो अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांत है कि किसी को बिना सुनवाई का अवसर दिये कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता इसके बावजूद इसे नजर अदांज कर दिया गया तथा अपीलार्थी को जो रिकोर्डेड सहखातेदार है को सुनवाई एंव जवाब का अवसर प्रदान नहीं किया गया इससे स्पष्ट है कि निर्णय व डिक्री कपटपूर्व प्राप्त की गई है इस कारण अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, कुचामनसिटी द्वारा प्रकरण संख्या 65/2008 में पारित

निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2013 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि वादी के वाद की प्राथमिक डिक्री निर्णय दिनांक 26.6.2003 पर तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त बंटवारा स्कीम पर एतराज करने से दिनांक 7.9.2012 को पत्रावली में पारित आदेश पर पुनः बंटवारा स्कीम तैयार कर तहसीलदार कुचामन सिटी को लिखा गया की आप स्वयं एवं पटवारी आरआई टीम से मौके पर जाकर पी.डी. की पालना में मौका बंटवारा स्कीम तैयार करे तहसीलदार कुचामन सिटी से दिनांक 31.5.2013 को बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त बंटवारा प्रस्ताव का भली भांति अवलोकन किए जाने के पश्चात प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 31.05.2013 की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में उभयपक्षकारान को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस नहीं दिए गए है।

उक्त बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर आई0एल0आर व पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया। जबकि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत बंटवारा प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा बनाया जाना आज्ञापक प्रावधान है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं कर प्रकरण में निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई है।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया।

2021 आर0बी0जे पेज 76

राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 – नियम 18 से 21 – *यह बाध्यकारी (Mandatory) है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर विभाजन के प्रस्ताव तैयार करे।*

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्णरूप से चस्पा होते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय व डिक्री में त्रुटि कारित हुई है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, कुचामनसिटी द्वारा प्रकरण संख्या 65/2008 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2013 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को बंटवारा प्रस्ताव के नोटिस जारी किए जाकर उनकी उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर उभयपक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर आपत्ति का निस्तारण करते हुए बंटवारा प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे व अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2026 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर